# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 14 / 2025 / बाड़मेर

| अपीलांट | रेस्पोंडेंटगण |
|---|---|
| 1. कमल सिंह पुत्र हनुमान सिंह<br>2. स्वरूप सिंह पुत्र हनुमान सिंह<br>3. डगमकंवर पत्नी कमल सिंह सभी जातियान रावणा राजपूत निवासीयान रामदेव नगर बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर | 1. रामसिंह पुत्र भगवान सिंह<br>2. मोतीसिंह पुत्र वीरसिंह<br>3. भीखीकंवर पुत्री वीरसिंह<br>4. धाईकंवर पुत्री वीरसिंह<br>5. जमनाकंवर पत्नी वीरसिंह<br>6. देवीकंवर पत्नी इन्द्र सिंह<br>7. जालमकंवर पत्नी नेमसिंह<br>8. बबूकंवर पत्नी जीवराज सिंह<br>9. कौशला पत्नी ईश्वर सिंह<br>10. सवाई सिंह पुत्र वीर सिंह<br>11. आईदानसिंह पुत्र इन्द्र सिंह<br>12. चम्पाकंवर पत्नी मगसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी रामदेव नगर बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर<br>13. पुरूषोत्तम दास पुत्र बाबुलाल<br>14. शांतिदेवी पत्नी बाबुलाल जाति जैन निवासी ढाणी बाजार बाड़मेर<br>15. बाबूलाल पुत्र धनराज जाति जैन निवासी बृजलाल जी की गली, बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर<br>16. अशोककुमार पुत्र हस्तीमल जाति जैन निवासी कल्याणपुरा मार्ग नंबर 3, बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर<br>17. सूर्य कुमार पुत्र मिश्रीमल जाति जैन निवासी रामदेव नगर बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर<br>18. तहसीलदार बाड़मेर, जिला बाड़मेर |

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 89 / 2022 बउनवान रामसिंह बनाम मोतीसिंह वगैरह में**

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18.12.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री पवन सिंहल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री राजेश विश्नोई उत्तरदाता संख्या 01 की ओर से।
3. वकील श्री कुंदनसिंह चौहान उत्तरदाता संख्या 07 से 09 की ओर से।

## निर्णय

दिनांक:—12.05.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/उत्तरदाता संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा बाड़मेर शहर पटवार क्षेत्र बाड़मेर शहर तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1627 रकबा 4.4920 हैक्टेयर के आये हुए हैं। विवादित भूमि वादी/उत्तरदाता संख्या 01 एवं शेष पक्षकारान के संयुक्त कब्जे काश्त की अवभिाजित भूमि है। विवादित भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा तथा शेष भूमि अन्य पक्षकारान के खातेदारी अधिकारों की है तथा पक्षकारान के राजस्व रेकर्ड में हिस्से खुले हुए हैं। वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में वादी एवं अन्य पक्षकारान के बीच में हिस्से पूर्ण रूप से खुले हुए हैं परन्तु खेत के हिस्से को लेकर विवाद रहता है तथा मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवारा होने से वादी/उत्तरदाता संख्या 01 एवं शेष पक्षकारान के मध्य भूमि के सेढों को लेकर झगड़ा रहता है एवं शेष पक्षकारान वादी/उत्तरदाता संख्या 01 के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दखलअंदाजी कर रहे हैं। इसलिए हस्तगत वाद पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित मौका दिये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। मौके पर पक्षकारान के मध्य हुऐ बाहामी बंटवारे व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना व अपीलांट से आपत्ति लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस की अनुपस्थिति में एकतरफा पारित की गई। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम से जारी सम्मनों पर व्यक्तिगत तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बाड़मेर को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा वादग्रस्त आराजी पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर आर. आई द्वारा उतरदाता के प्रभाव में आकर वादग्रस्त भूमि पर जाये बिना कमरे में बैठकर वादीगण के कहे अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अपीलांटस को बिना पूर्व सूचना के आर.आई द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के विपरीत तैयार किया गया, जिस पर अपीलांटस के हस्ताक्षर नहीं है तथा एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया, जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव के अनुरूप जो बंटवारा प्रस्तावित किया था उसमें रास्ते संबंधी कोई भूमि नहीं छोड़ी जबकि वादग्रस्त आराजी खेत खसरा संख्या 1627 मे मौके पर डामर सड़क सर्वाजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई है, उस सड़क का सम्पूर्ण रकबा गलत निर्णय डिक्री में अकेले अपीलांटगण के हिस्से की भूमि में से निकाल दिया और अपीलांटगण के हिस्से में अन्य खातेदारान के हिस्से की भूमि के अनुपात में जो सड़क का हिस्सा निकाला गया था वो नहीं निकाला और अपीलांटगण के हिस्से की भूमि कम कर दी, जिस पर अदालत मातहत ने कोई गौर नहीं किया एवं न ही हल्का पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक ने मौके पर चल रही सड़क का भी कोई उल्लेख अपनी मौका रिपोर्ट में किया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलाधीन आराजी पर कब्जा काश्त की जांचं नहीं की गई। केवल मात्र उत्तरदातागण द्वारा जो वाद के साथ गलत कब्जा काश्त के अनुरूप नक्शा परिशिष्ट पेश किया था को आधार मानकर वादग्रस्त आराजी में उत्तरदातागण का कब्जा काश्त उनके द्वारा किये कथनों के आधार पर मानकर आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अपीलांटस की तरफ से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.11.2022 को अधिवक्ता श्री दानसिंह ने उपस्थित होकर अंडरटेकिंग दी तथा वकालतनामा आगामी पेशी पर पेश करने का निवेदन किया। अपीलांटस को हस्तगत वाद की जानकारी होने पर ही अपीलांटस के कहने पर ही न्यायालय में अधिवक्ता ने उपस्थिति दी। अपीलांटस द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अपील पेश नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की उपस्थिति में हल्का पटवारी व आर. आई. के साथ तहसीलदार बाड़मेर स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 20 से 21 के अनुसार विधि सम्मत है। अपीलांटस के अलावा अन्य सभी खातेदार उक्त बंटवारे से संतुष्ट हैं। अपीलांटस स्वयं द्वारा अपीलाधीन आराजी का इकरारनामा के आधार पर बेचान किया जा रहा है। अपीलांटस की मंशा कतई बंटवारा नहीं होने देने की है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवारा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

उत्तरदाता संख्या 07 से 09 ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात विधि सम्मत पारित किया गया। अपीलाधीन आराजी का बंटवारा मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार सही किया गया। अपीलांटस की मंशा कतई न्यायिक नहीं है। बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते वक्त नियम 18 से 21 की पूर्ण की पालना की गई। अतः अपीलांटस की अपील को खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस की तरफ से अधिवक्ता ने उपस्थिति देकर अंडरटेकिंग दी तथा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकालतनामा आगामी पेशी पर पेश करने का निवेदन किया गया। अपीलांटस को हस्तगत वाद की जानकारी होने के बाद भी जानबूझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांटस द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध किसी प्रकार की अपील पेश नहीं की गई। इससे साफ जाहिर होता है कि अपीलांटस को प्राथमिक निर्णय व डिक्री स्वीकार्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अंतिम डिक्री पारित की गई उसे बाकायदा भूमिधारक तहसीलदार बाड़मेर स्वयं ने मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाकर पेश हुआ, जिस पर दिनांक 18.12.2024 को अंतिम डिक्री जारी की गई। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की कोई आपत्ति पेश नहीं की गई। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bounds सिद्धांत के अनुसार तैयार किये गए तहसीलदार बाड़मेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 89/2022 बउनवान रामसिंह बनाम मोतीसिंह वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18.12.2024 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

12/5/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/5/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर